उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय आयुक्त,
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामाले विभाग,उत्तराखण्ड
खाद्य भवन, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, लाडपुर, देहरादून।

E mail- foodcommfcs@gmail.com दूरभाष— 2741390

पंत्राक :2648 /आ0ले0शा0 / Outcome Budget / 2024—25 दिनांकः28 फरवरी, 2024

सेवा में,

अनु सचिव,
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामाले विभाग,
उत्तराखण्ड़ शासन, देहरादून।

विषयः— वित्तीय वर्ष 2024—25 का Outcome Budget.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव नियोजन के पत्रांकः 539 / 11 / OB / SPC / 2017 दि0 21—02—2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत बजट के सापेक्ष आउटकम बजट तैयार कर प्रेषित करने के निर्देश दिये गये है।

वित्तीय वर्ष 2024—25 का बजट विधानसभा में दिनांकः 27—02—2024 को प्रस्तुत हो गया है। विधानसभा में प्रस्तुत बजट प्रस्ताव के अनुसार खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग का वित्तीय वर्ष 2024—25 का Outcome Budget निर्धारित प्रारूप पर संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नः— यथोक्त।

भवदीया,

(स्मृति खण्डूरी)
वित्त नियंत्रक।

प्रतिलिपिः— अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को वित्तीय वर्ष 2024—25 के Outcome Budget की 01 प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(स्मृति खण्डूरी)
वित्त नियंत्रक।

आउटकम–बजट 2024–25

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस0डी0जी0 व्यय

(धनराशि लाख रु0 में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले / बजट		1–4–2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2024 की संभावित (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	आउटकम हेतु संभावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत				
1	अधिष्ठान व्यय (खाद्य)	राज्य के प्राथमिकी, अन्त्योदय तथा राज्य खाद्य योजना से अच्छादित परिवारों को खाद्य उपलब्ध कराना।	6159.04	-	715 कार्मिक	746 कार्मिक	विभाग में कार्यरत कार्मिकों को वेतन भत्तों का भुगतान किया जाना है। विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में कार्मिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।	वार्षिक
2	अधिष्ठान व्यय (राज्य खाद्य आयोग)	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत वितरित किये जाने वाले खाद्यान्न से सम्बन्धित उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों की सुनवाई किया जाना।	53.07	-	07 कार्मिक	10 कार्मिक	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के दृष्टिगत वैधानिक परिर्पेक्ष्य में राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया है। राज्य खाद्य आयोग द्वारा प्राप्त होने वाली शिकायतों का निस्तारण किया जाना, जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रादर्शिता मिली है।	वार्षिक
3	उपभोक्ता जागृत्ति योजना (कंज्यूमर हैल्पलाईन)	उपभोक्ताओं के हितों के सरंक्षण विषयक मामलों के प्रति जागरूकता बढाने एवं उपभोक्ताओं की शिकयतों का निवारण।	10.25	-	661 शिकायतों का निस्तारण।	700 शिकायतों का निस्तारण।	उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने तथा उपभाक्ता अधिनियम 1936 तथा 2019 में दिये गये उपभाक्ताओं के अधिकार संरक्षित किये जाने तथा न्यायालय / आयोग में वाद दाखिल करने से पूर्व उपभौक्ताओं की समस्याओं का जन सूचना संचार के माध्यम से निदान कराया जाना।	वार्षिक
4	खाद्यान्न सब्सिडी	उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित सस्ती दरों पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु सस्ता गल्ला विक्रेताओं को परिवहन लदाई धराई तथा लाभांश व अतिरिक्त लाभांश का भुगतान।	5000.00 (राज्यांश) 8000.00 (केन्द्रांश)		एनएफएसए के अन्तर्गत 145502.316 मी0ट0 गेहूं व 237835.047 मी0ट0 चावल वितरित किया गया।	एनएफएसए के अन्तर्गत 145502.316 मी0ट0 गेहूं व 237835.047 मी0ट0 चावल वितरित किया जायेगा।	सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मूल उद्देश्य उपभोक्ताओं को सस्ते और रियायती कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना ताकि उन्हें खाद्यान्न की बढती हुयी कीमतों के प्रभाव से बचाया जा सके। उक्त व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाये जाने के लिये खाद्यान्न के परिवहन, लदाई धराई, लाभांश तथा अतिरिक्त लाभांश हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को खाद्यान्न वितरण पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है।	वार्षिक

5	चीनी सब्सिडी	उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित सस्ती दरों पर अन्त्योदय उपभोक्ताओं को चीनी उपलब्ध कराये जाने हेतु परिवहन लदाई धराई लाभांश तथा टैक्सज आदि का भुगतान।	200.00	-	183.52 मी0ट0 चीनी।	184.00 मी0टन	184000 अन्त्योदय परिवारों को सस्ती दरों पर चीनी उपलब्ध कराया जाना।	वार्षिक
6	सिविल पूर्ति के अन्तर्गत निर्धन परिवारों हेतु गैस पर अनुदान।	अन्त्योदय परिवारों को वर्ष में 03 गैस सिलिण्डर रिफिलिंग की सुविधा उपलब्ध कराया जाना।	5500.00	-	183520 अन्त्योदय परिवारों को वर्ष में 03 गैस सिलिन्डर निशुल्क रिफिल की सुविधा उपलब्ध कराना।	183520 अन्त्योदय परिवारों को वर्ष में 03 गैस सिलिन्डर निशुल्क रिफिल की सुविधा उपलब्ध कराना।	183520 अन्त्योदय परिवारों को वर्ष में 03 सिलिण्डर रिफिलिंग की सुविधा उपलब्ध कराया जाना।	वार्षिक
7	गोदामों का निर्माण	खाद्यान्न को सुरक्षित रखने हेतु खाद्यान्न गोदामों का निर्माण।	-	100.00	खाद्यान्न गोदाम का निर्माण।	खाद्यान्न गोदाम का निर्माण।	खाद्यान्न को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से गोदामों का निर्माण कराया जाना। खाद्यान्न गोदामों के निर्माण से खाद्यान्न के रखरखाव एवं प्रबन्धन में गुणात्मक सुधार हुआ है। फलस्वरूप खाद्यान्न की प्राकृतिक आपदाओं के कारण हानियों में कमी आई है।	वार्षिक

(स्मृति खण्डूरी)
वित्त नियंत्रक।

सतत् विकास लक्ष्यों हेतु प्रारूपः–

(धनराशि लाख रु0 में)

क्र0 सं0	SDG संकेतक	1–4–2023 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31–3–2024 की संभावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2024–25	परिकल्पित आउटकम (भौतिक स्थिति) वर्ष 2024–25
1	SDG - 1	9371	5000.00 (राज्यांश) 8000.00 (केन्द्रांश)	एनएफएसए के अन्तर्गत 145502.316 मी0टन0 गेहूं व 237835.047 मी0टन0 चावल वितरित किया गया।	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में 1192704 राशन कार्ड धारकों को (लाभार्थियों) को जनवरी 2023 से निशुल्कः खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। मा0 प्रधानमंत्री जी की घोषणानुसार उक्त योजना आगामी 05 वर्षो तक लागू रहेगी।
2	SDG - 1	786	1200.00	183520 अन्त्योदय परिवारों को 183.520 मी0टन0 चीनी का प्रति माह वितरण किया जा रहा है।	183520 अन्त्योदय परिवारों (लाभार्थियों) को 01 किलो0 ग्राम0 चीनी प्रतिमाह दी जा रही है।

(स्मृति खण्डूरी)
वित्त नियंत्रक।